

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

### सार्वजनिक नीलामी सूचना

मुख्यालय, गाजीपुर के मध्य प्रांगण में स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गाजीपुर के सामने पूर्व दिशा में तथा 04 कक्षीय नवनिर्मित न्यायालय भवन के उत्तर दिशा में स्थित पुराना निष्प्रयोज्य भवन (मिडियेशन सेंटर) जिसका मूल्यांकन रु० 2,82,284.6461/-, जे० एम० ब्लाक (पूर्वी प्रांगण) रु० 12,38626.47/- एवं सी० जे० एम० ब्लाक (मध्य प्रांगण) रु० 15,44,997.36/- एवं तीनों भवनों का कुल मूल्यांकन रु० 30,65,908.00/- प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त करने तथा मलवा हटाने हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक 21/03/2020 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में अपरान्ह 03.00 बजे उपसमिति आधारभूत संरचना, जनपद, न्यायालय गाजीपुर के उपस्थिति में करायी जायेगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति/ फर्म नीलामी किये जाने वाले भवन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे सायं तक कार्यस्थल पर आकर कर सकते हैं।

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

1. प्रत्येक बोली दाता को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. नीलामी की बोली बोलने से पूर्व उपरोक्त भवन की भली भांती पहचान व निरीक्षण कर ले।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु रु० 3,10,000/- की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा।
4. नीलामी केवल भवन एवं उसमें लगी अचल वस्तुओं के लिए ही है। फर्नीचर, फिक्स्चर्स, चल संपत्ति आदि नीलामी में सम्मिलित नहीं है। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।
5. सभी बोली दाताओं को सभी नियम एवं शर्तों के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।
6. यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना / दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को देना होगा तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग /सरकार का होगा।
7. भवन के तोड़ने का कार्य प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही किया जा सकेगा।
8. भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता / फर्म / व्यक्ति की होगी।
9. भवन को तोड़ते समय सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
10. सम्बंधित बोलीदाता / फर्म/ व्यक्ति द्वारा ध्वस्त किये गए भवन के मलवे को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर से हटाना होगा।
11. किसी भी उच्चतम नीलामी बोली को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास सुरक्षित है।
12. उच्चतम नीलामी बोली को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन उपरान्त ही अमल में लायी जायेगी और जो भी शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसे मानना बाध्यकारी होगा।
13. नीलामी बोली माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा।
14. अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण नीलामी की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
15. अन्य कोई भी शर्त जो नीलामी से पूर्व समिति द्वारा घोषित की जा सकती है, जिसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

दिनांक -06/03/2020

(मो० सिवानुल हक)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -1/  
अध्यक्ष, उपसमिति आधारभूत संरचना  
जनपद न्यायालय, गाजीपुर